

133

झारखण्ड सरकार,  
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक. - 15.07.2024

संख्या-08/शक्ति प्र0-15/2024 का0-.....4615..... उपायुक्त, दुमका के पत्रांक-1777 /गो० दिनांक 03.07.2024 द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में कुल- 206 पदाधिकारियों/ पर्यवेक्षकों की सूची में से मैट्रिक धारक महिला पर्यवेक्षिका को छोड़कर शेष पदाधिकारियों/ पर्यवेक्षकों को संगत अधिसूचना communicate किये जाने की तिथि से श्रावणी मेला-2024 सम्पन्न होने तक की अवधि के लिये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 के तहत विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

12/07/2024  
(आसिफ हसन)

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक- 08/शक्ति प्र0-15/2024 का0 - 4615

/ राँची, दिनांक. - 15.07.2024

प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, ई0- गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को ई0-गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

12/07/2024  
सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक- 08/शक्ति प्र0-15/2024 का0. 4615

/ राँची, दिनांक. - 15.07.2024

प्रतिलिपि:- उपायुक्त, दुमका के पत्रांक-1777 /गो० दिनांक 03.07.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि वे अपने स्तर से सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को इसकी सूचना प्रेषित करें।

12/07/2024  
सरकार के संयुक्त सचिव।